

V8-13931
17/5/04

भारत सरकार मुद्रणालय R-9440
के दिनांक.....को प्राप्त।
8-3-04

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

राजपत्र वितरण एकक



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

PO- 400
LM- 30
Depth- 150
CPB: 220

सं. 102]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 27, 2004/फाल्गुन 8, 1925

No. 102]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 27, 2004/PHALGUNA 8, 1925

दूर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूर संचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2004

सा.का.नि. 148(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण (वार्षिक रिपोर्ट और विवरणी) नियम, 1999 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण (वार्षिक रिपोर्ट और विवरणी) नियम, 2004 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण (वार्षिक रिपोर्ट और विवरणी) नियम, 1999 में :—
 - उससे उपाबद्ध परिशिष्ट-1 में, शीर्षक "1. प्राधिकरण के समक्ष विवादों के निपटारे के लिए फाइल किए गए मामलों और उसके द्वारा न्यायनिर्णीत विवादों की संख्या की विवरणी" के अधीन स्तंभों और प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
 - परिशिष्ट 2 के भाग 3 में मद संख्या (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 5-4/98-टी.सी.ओ.]

पी. के. तिवारी, उप सचिव

टिप्पण :—मूल नियम, भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 80(अ) तारीख 10 फरवरी, 1999 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY**(Department of Telecommunications)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th February, 2004

G.S.R. 148(E).—In exercise of powers conferred by clause (g) of Sub-section (2) of Section 35 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Telecom Regulatory Authority of India (Annual Report and Returns) Rules, 1999, namely :—

1. (1) These rules may be called the Telecom Regulatory Authority of India (Annual Report and Returns) Amendment Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Telecom Regulatory Authority of India (Annual Report and Return) Rules, 1999,—

(i) In Appendix-I annexed thereto, the heading “1. Return on number of cases filed before the Authority for settlement of disputes and adjudicated upon” and the columns and entries thereunder shall be omitted;

(ii) In Appendix-II, in Part III, item number (i) and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. 5-4/98-TCO]

P. K. TIWARI, Dy. Secy.

Note :—The Principal rules were published in the Gazette of India *vide* G.S.R. 80(E) dated the 10th February, 1999.